

## प्रेस-विज्ञप्ति

## थाना-निजामाबाद

## जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक 06.06.2021 को वादिनी आरती सिंह पत्नी अशोक सिंह साकिन तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि आज दिनांक 06.06.2021 को दीपक सिंह पुत्र विजयी सिंह निवासी लहुआ थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने पुरानी रंजीश को लेकर मेरे चाचा मुसाफिर सिंह पुत्र राजदेव सिंह को रात्रि में गोली मार दिया जिससे मेरे चाचा घायल हो गये है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं०- 120/21 धारा 307 भादवि बनाम दीपक सिंह पुत्र विजयी सिंह साकिन लहुआ थाना देवगांव के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की जा रही है।

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे मयहमराहीयान के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि मु 0अ0सं०- 120/21 धारा 307 भादवि वांछित चल रहा अभियुक्त रानी की सराय चेक पोस्ट पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। इस सूचना पर उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह के मौके पर पहुंचकर अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र विजयी सिंह साकिन लहुआ थाना देवगांव आजमगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 22.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या के प्रयास में प्रयुक्त किया गया एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद फायरशुदा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

## पूछताछ विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद असलहे के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह असलहा मैं लोगो में दहशत फैलाने के लिए रखता हूँ।

## पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं०- 120/21 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

## अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं०- 98/19 धारा 302 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०- 120/21 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

## गिरफ्तार अभियुक्त

दीपक सिंह पुत्र विजयी सिंह साकिन लहुआ थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

## बरामदगी

एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद फायरशुदा कारतूस .32 बोर नाजायज

## गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० हवलदार यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
3. का० शंशाक पाण्डेय थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

## थाना सिधारी

### चोरी की मोटरसाईकिल के साथ वाहन चोर गिरफ्तार

दिनांक 09.06.2021 को वादी श्री विष्णुकान्त पाण्डेय S/O गोरखनाथ पाण्डेय ग्राम बढईपुर पोस्ट नखापिताम्बरपुर थाना जहांगीरगंज (अम्बेडकर नगर) उपस्थित थाना आकर एक तहरीर दिये कि प्रार्थी अपने बच्चे के इलाज के सम्बन्ध में हेल्थ केयर हास्पिटल मऊ रोड सिधारी में एडमिट है दिनांक 08/06/2021 को शाम 8 बजकर 26 मिनट पर अस्पताल के गेट (मऊ रोड सिधारी , आजमगढ़ ) के सामने से प्रार्थी की मोटर साइकिल (स्पलेन्डर) जिसका नम्बर UP45AH0331 है, चोरी हो गयी है। जिसके सम्बंध में मु0अ0स0 126/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये जा रहे वाहन चोरो की गिरफ्तारी हेतु व अवैध शराब माफियो की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियो की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 जाफर खान मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में भ्रमणशील होकर मु0अ0स0 126/2021 धारा 379 भादवि से सम्बंधित हीरो मोटरसाईकिल यूपी 45 AH 0331 की बरामदगी हेतु नयापुल तिराहे पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि चोरी की मोटरसाईकिल लेकर वाहन चोर शंकर तिराहे से नयापुल होते हुये आजमगढ़ को ओर जायेगा तभी मुखबिर की बातो पर विश्वास करके इन्तजार किया जाने लगा कि एक नये उम्र का लडका मोटरसाईकिल से आता हुआ दिखाई दिया कि मुखवीर ने आड से ही आते मोटरसाईकिल से ब्यक्ति के तरफ इशारा करके बताया कि साहब वही मोटरसाईकिल है जो लेकर आ रहा है और पिछे मुडकर चला गया कि हम पुलिस वाले एक बारगी सड़क पर आकर मोटरसाईकिल रोकने का इशारा किया गया तो मोटरसाईकिल से आ रहा ब्यक्ति मोटरसाईकिल को तेजी से मुड़ाकर भागना चाहा कि पुलिस आवाज देकर घेरकर हिकमत अमली से एक बारगी पकड़ लिया गया। पकड़े गये ब्यक्ति नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आदित्य चौबे उर्फ मोनू पुत्र अंजनी चौबे सा0 भागवत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष बताया। पूछताछ में बताया कि साहब दिनांक 08.06.2021 को शाम के समय हेल्थ केयर सेन्टर बबुआन सिधारी से मोटरसाईकिल न0 UP45AH0331 चुरा लिया था आज मैं इस मोटरसाईकिल को शहर में छुपाने ले जा रहा था कुछ दिन बीत जाता तो मैं इस मोटरसाईकिल को बेच देता। अभियुक्त को अपराध का बोधकराकर समय 09.30 बजे सुबह दिनांक 13.06.2021 को नयापुल तिराहे से हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- 1.आदित्य चौबे उर्फ मोनू पुत्र अंजनी चौबे सा0 भागवत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने बताया कि साहब मैंने दिनांक 08.06.2021 को शाम के समय हेल्थ केयर सेन्टर बबुआन सिधारी से मोटरसाईकिल चुरा लिया था आज मैं इस मोटरसाईकिल को शहर में छुपाने ले जा रहा था कुछ दिन बित जाता तो मैं इस मोटरसाईकिल को बेच देता। साहब माफ कर दीजीये गलती हो गई।

### पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

1- मु0अ0स0 126/2021 धारा 379/411 थाना सिधारी आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त

1.आदित्य चौबे उर्फ मोनू पुत्र अंजनी चौबे सा0 भागवत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

### बरामदगी

1- एक अदद हीरो मो0सा0 न0 UP45AH0331 , चेचिस नं0 MBLHAW080KHM14134 इंजन नं0 HA10AGKHM29527

### गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे0का0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़

## थाना दीदारगंज

### गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी धनराज सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ मय फोर्स के साथ दिनांक 13.6.2021 को थाना हाजा से रवाना होकर पंचायत उप चुनाव के दृष्टिगत थाना स्थानीय के मतदान केन्द्रों पर भ्रमणशील रहकर चुनाव को सम्पन्न कराया गया तथा मतपेटिकाओं को थाना क्षेत्र में बने स्ट्रॉंग रूम मार्टिनगंज में रखवाकर स्ट्रॉग रूम को एसडीएम मार्टिनगंज के समक्ष शील कराया गया तथा स्ट्रॉंग रूम डियूटी में लगे कर्मचारियों को आवश्यक आदेश व निर्देश दिया गया तत्पश्चात बाद समाप्त चुनाव देखभाल क्षेत्र पेण्डिंग मुकदमा की विवेचना करते हुये रात्री गश्त किया गया तथा गश्त में लगे कर्मचारीगणों को चेक किया गया सभी सतर्क व मौजूद मिले जिन्हे आवश्यक आदेश व निर्देश दिया गया बाला बाला वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कस्बा मार्टिनगंज में मौजूद था कि मुखबीर खास ने आकर सूचना दिया कि मु0अ0स0 52/21 धारा 3/5क(6)/5ख/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कुरता अधि0 से सम्बन्धित प्रकाश में आया अभियुक्त मो0 फरहान पुत्र अब्दुल हफीज ग्राम भदेठी थाना सरायख्वाजा जौनपुर कहीं जाने के फिराक में जैगहा तिराहा पर वाहन का इन्तजार कर रहा है यदि आप लोगो द्वारा जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर मैं थाना प्रभारी मय हमराही मय मुखबीर के साथ जैगहा तिराहे से कुछ दुर पहले पर खडे व्यक्ति की तरफ मुखबीर खास ने इशारा करके मौके से हट बढ गया हम पुलिस वाले सिखलाये हुये तरीक से उक्त खडे व्यक्ति के पास पहुचे कि उक्त व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर भागना चाहा कि मौके पर हमराहियान की मदद से पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मो0 फरहान पुत्र अब्दुल हफीज ग्राम भदेठी थाना सरायख्वाजा जौनपुर को गिरफ्तार कर अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0स0 52/21 धारा 3/5क(6)/5ख/8(1) गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कुरता अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा जिविका चलाने के लिये काम करना बता रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1. मो0 फरहान पुत्र अब्दुल हफीज ग्राम भदेठी थाना सरायख्वाजा जौनपुर  
घटनास्थल/गिरफ्तारी स्थल-
- जैगहा तिराहा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-(थाना प्रभारी धनराज सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- 2- का0 दुर्गेश गौड
- 3- रि0का0 आलोक यादव
- 4- म0आ0 अनामिका सेन्गर